

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.14(4)/शिक्षा-1/झालावाड़/2014- पार्ट

जयपुर, दिनांक: 7/8/2017


—:संशोधित आदेश:-

जिला झालावाड़ के एकीकरण के संबंध में, इस विभाग के जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 14.08.2014 के सारणी (ब) के क्रमांक 15 पर रा.प्रा.वि. खोखरिया खुर्द को रा.मा.वि. खोखरिया खुर्द पंचायत समिति डग जिला झालावाड़ में समन्वित किया गया था। आदेश दिनांक 26.04.2017 के द्वारा तालिका 19ए व 20ए के क्रम संख्या 1 के कॉलम 6 पर अंकित रा.प्रा.वि. खोखरिया खुर्द को रा.उ.मा.वि. खोखरिया खुर्द में पुनः समन्वित कर दिया गया है। अतः आदेश दिनांक 14.08.2014 को यथावत रखते हुए आदेश दिनांक 26.04.2017 में उक्त समन्वयन को निरस्त किया जाता है।

इस विभाग के जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26.04.2017 के द्वारा तालिका 19बी व 20बी के क्रम संख्या 1 के कॉलम 6 पर अंकित रा.उ.प्रा.वि. घाघरा वाटा को रा.उ.मा.वि. सोजपुर में समन्वित किया गया था। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, रा.उ.प्रा.वि. घाघरा वाटा पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड़ के स्थान पर रा.उ.प्रा.वि. घाघरावाटा पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड़ पढ़ा जावे।

शेष शर्तें यथावत रहेगी।

आज्ञा से,



(रामस्वरूप झालानी)

शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, महोदय
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग
7. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर
8. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
9. निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर
10. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर
11. संभागीय आयुक्त,.....
12. जिला कलक्टर,.....
13. संयुक्त/वरिष्ठ/उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/आयोजना/शिक्षा गुप-2.5.
14. शिक्षा उपनिदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक, संभाग
15. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय)
16. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव, प्रथम